पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने प्रो0 मुन्ना सिंह के विरूद्ध अंतिम/विभागीय जाँच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया

समिति दो माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें -राज्यपाल

लखनऊः 5 मई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, श्री राम नाईक ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति (वर्तमान में निलम्बित), प्रो0 मुन्ना सिंह के विरूद्ध शिक्षकों आदि की चयन/नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों की अंतिम/विभागीय जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। श्री नाईक द्वारा अंतिम/विभागीय जांच के लिए गठित समिति में न्यायमूर्ति श्री वी0डी0 चतुर्वेदी (अवकाश प्राप्त न्यायाधीश), उच्च न्यायालय इलाहाबाद अध्यक्ष होंगे तथा प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा श्री मनोज कुमार, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) को समिति का सदस्य नामित किया गया है। जांच समिति प्रकरण में जांच दो माह के अन्दर पूर्ण कर राज्यपाल/कुलाधिपति को जाँच रिपोर्ट सौपेगी।

उल्लेखनीय है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति द्वारा गत मासों में उक्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों आदि की नियुक्ति हेतु सम्पन्न की गयी चयन/नियुक्ति प्रक्रिया के विरूद्ध विश्वविद्यालय के लगभग 75 शिक्षकों, कतिपय सांसदों, भूतपूर्व मंत्री एवं अन्य व्यक्तियों से चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में कुलपति द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा तीन सदस्यीय प्रारम्भिक जांच समिति गठित की गयी थी। प्रारम्भिक जांच समिति की जांच में कुलपति प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये थे जिसके आधार पर राज्यपाल/कुलाधिपति ने कुलपति, प्रो0 मुन्ना सिंह को 1 मई, 2015 को निलम्बित कर दिया था।